



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16052026-272593  
CG-DL-E-16052026-272593

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2402]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 14, 2026/वैशाख 24, 1948

No. 2402]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 14, 2026/VAISAKHA 24, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मई, 2026

**का.आ. 2494(अ).**— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2242 तारीख 20/05/2025, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के गाज़ियाबाद जिले में NH709B के कि.मी. 14.75 से कि.मी. 26.15 (दिल्ली सहारनपुर हाइवे दिल्ली/यूपी सीमा से ईपीई जंक्शन) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ाकरण / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 24/05/2025 को "द इंडियन एक्सप्रेस (अंग्रेज़ी)", 24/05/2025 को "अमर उजाला" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

### अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के गाज़ियाबाद जिले में NH709B के कि.मी. 14.75 से कि.मी. 26.15 (दिल्ली सहारनपुर हाइवे दिल्ली/यूपी सीमा से ईपीई जंक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश			जिले का नाम: गाज़ियाबाद		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: लोनी					
गांव का नाम: लोनी (चकबंदी बाहर)					
1	1314	निजी	कृषि	0.0162	दीवार कौर पत्नी फत्तू, गोपी पुत्र लिखीराम, हरलाल पुत्र लिखीराम, ओमपाल पुत्र लिखीराम, रिद्धपाल पुत्र रतीराम, नरेशकुमार पुत्र प्रकाश, सन्दीप कुमार जैन पुत्र शुभकरण जैन, हुक्मों देवी पत्नी स्व. श्री राम, सुभाष चंद पुत्र स्व. श्री राम, अशोक कुमार पुत्र स्व. श्री राम, प्रवीन कुमार पुत्र स्व. श्री राम, सरिता पत्नी राजीव कुमार, राजीव कुमार पुत्र एस.पी. सिंह, डॉ. उपेन्द्र कुमार पुत्र चौधरी यशवीर सिंह, संगीता चौधरी पत्नी उपेन्द्र कुमार चौधरी
गांव का नाम: सादुल्लाबाद					
2	1	निजी	कृषि	0.0317	मै.चौ0 प्रोपर्टीज द्वारा पार्टनर राजीव चौहान पुत्र ए.एस.चौहान, राखी चौहान पत्नी अनूप सिंह चौहान
3	11	निजी	कृषि	0.0662	मै0 बिल्डमोर इन्डिया लि0 रजि0, मै.चौ0 प्रोपर्टीज द्वारा पार्टनर राजीव चौहान पुत्र ए.एस.चौहान, राखी चौहान पत्नी अनूप सिंह चौहान
4	12	निजी	कृषि	0.0455	मै0 बिल्डमोर इन्डिया लि0 रजि0, मै.चौ0 प्रोपर्टीज द्वारा पार्टनर राजीव चौहान पुत्र ए.एस.चौहान, राखी चौहान पत्नी अनूप सिंह चौहान
Total				0.1596	

[फा. सं. NHAI/PIU-Gzb/709B/12011/LA/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th May, 2026

**S.O. 2494(E).**—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **2242 Dated:20/05/2025**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH709B in the stretch of land from Km. 14.75 to Km. 26.15 (Delhi Saharanpur highway from delhi/UP Border to EPE Junction) in the district of GHAZIABAD in the state of UTTAR PRADESH.

And whereas the substance of the said notification has been published in “The Indian Express” dated 24/05/2025, “Amar Ujala” dated 24/05/2025 ; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

**SCHEDULE**

**Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH709B in the stretch of land from Km. 14.75 to Km. 26.15 (Delhi Saharanpur highway from Delhi/UP Border to EPE Junction) in the district of GHAZIABAD in the state of UTTAR PRADESH**

State: UTTAR PRADESH		District: GHAZIABAD			
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
<b>Taluk: Loni</b>					
<b>Village: Loni (Chakbandi Bahar)</b>					
1	1314	Private	Agriculture	0.0162	Diwar Kaur Wife of Fattu, Gopi Son of Likhiram, Harlal Son of Likhiram, Ompal Son of Likhiram, Richhpal Son of Ratiram, Naresh Kumar Son of Prakash, Sandeep Kumar Jain Son of Shubhkara Jain, Hukmo Devi wife of Late Shri Ram, Subhash Chand son of Late Shri Ram, Ashok Kumar son of Late Shri Ram, Praveen Kumar son of Late Shri Ram, Sarita wife of Rajeev Kumar, Rajiv Kumar son of S.P. Singh, Dr. Upendra Kumar Choudhary son of Yashveer Singh, Sangeeta Choudhary wife of Upendra Kumar Choudhary
<b>Village: Sadullabad</b>					
2	1	Private	Agriculture	0.0317	M/s. Ch. Properties represented by Partner Rajiv Chauhan Son of A.S. Chauhan, Rakhi Chauhan wife of Anoop Singh Chauhan
3	11	Private	Agriculture	0.0662	M/s Buildmore India Ltd. (Regd.), M/s. Ch. Properties represented by Partner Rajiv Chauhan Son of A.S. Chauhan, Rakhi Chauhan wife of Anoop Singh Chauhan

4	12	Private	Agriculture	0.0455	M/s Buildmore India Ltd. (Regd.), M/s. Ch. Properties represented by Partner Rajiv Chauhan Son of A.S. Chauhan, Rakhi Chauhan wife of Anoop Singh Chauhan
<b>Total</b>				<b>0.1596</b>	

[F. No. NHAI/PIU-Gzb/709B/12011/LA/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director